

बिहार सरकार  
श्रम संसाधन विभाग

पत्रांक- टी 3/योजना-09/2016- 1506

पटना, दिनांक- 17-5-16

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार  
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

अनौपचारिक रूप  
से परामर्शित

द्वारा-  
विषय:-

वित्त विभाग।

वित्तीय वर्ष 2016-17 में 7 निश्चय के अन्तर्गत राज्य के अनाच्छादित 18 अनुमण्डलों यथा-अररिया, नरकटियागंज, नवगछिया, बिरौल, मनिहारी, उदाकिशुनगंज, बनमनखी, वैसी, सिमरी बख्तियारपुर, पुपरी, जगदीशपुर, महुआ, हवेली खड़गपुर, मुजफ्फरपुर पश्चिम, राजगीर, दाउदनगर, पालीगंज तथा तारापुर में नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना एवं पद सृजन की स्वीकृति के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-बी0एस0डी0एम0/ बजट-23/2015-64 दिनांक-28.03.2016 (छायाप्रति संलग्न) के कडिका 2.6 के दिशा-निर्देश के आलोक में भूमि की उपलब्धता के आधार पर माननीय मुख्यमंत्री के सात निश्चय के अन्तर्गत राज्य के अनाच्छादित 18 अनुमण्डलों यथा- 1. अररिया, 2. नरकटियागंज, 3. नवगछिया, 4. बिरौल, 5. मनिहारी, 6. उदाकिशुनगंज, 7. बनमनखी, 8. वैसी, 9. सिमरी बख्तियारपुर, 10. पुपरी, 11. जगदीशपुर, 12. महुआ, 13. हवेली खड़गपुर, 14. मुजफ्फरपुर पश्चिम, 15. राजगीर, 16. दाउदनगर, 17. पालीगंज तथा 18. तारापुर के शिक्षित युवकों/युवतियों को कुशल तकनीशियन एवं कामगार के रूप में तैयार करने हेतु आधुनिक व्यवसायों में तकनीकी प्रशिक्षण दिलाने के उद्देश्य से नया औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना योजनान्तर्गत नया औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना कर 06 आधुनिक व्यवसायों में प्रशिक्षित करते हुए रोजगार/स्व-रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है।

- 2 वर्तमान में उक्त स्थापित होनेवाले औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान किराये के मकान/सरकारी भवन में चलाया जाना है इसके लिये आवश्यक संसाधन आदि की व्यवस्था वित्तीय वर्ष 2016-17 से की जाएगी तथा प्रशिक्षण वर्ष 2018 से प्रारंभ किया जाएगा। संस्थानों के लिये अपना प्रशासनिक भवन तथा कर्मशाला भवन हेतु भूमि उपलब्ध/हस्तांतरित होते ही भवन निर्माण की कारवाई प्रारंभ की जाएगी। वर्तमान में 06 आधुनिक एवं लोकप्रिय व्यवसाय की स्थापना कर संस्थान चलाया जाना है, जो निम्नवत है-

क्रमांक-	व्यवसाय का नाम- यूनिट	कुल प्रशिक्षणार्थियों की सं०	प्रशिक्षण अवधि	
1-	फीटर-	2(1+1)	42	दो वर्ष
2-	इलेक्ट्रीशियन-	2(1+1)	42	दो वर्ष
3-	इन्फॉर्मेशन एण्ड कॉमन्यूकेशन टेक्नॉलाजी सिस्टम मेंटेनेन्स	2(1+1)	42	दो वर्ष
4-	इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक	2(1+1)	42	दो वर्ष
5-	वैल्डर	2	28	एक वर्ष
6-	मैकेनिक डीजल इंजन	2	42	एक वर्ष
कुल- 12		238 (दो सौ अड़तीस)		

नव स्थापित होने वाले औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में निम्न प्रकार पदों का सृजन किया जाना है :-

पद	वेतनमान	ग्रेड पे	सृजित एवं स्वीकृत किये जाने वाले पद की संख्या (प्रति संस्थान x 18)
प्राचार्य	9300-34800	4800	01 x 18 = 18
उप प्राचार्य	9300-34800	4600	01 x 18 = 18
सहायक अधीक्षक	9300-34800	4200	01 x 18 = 18
मुख्य अनुदेशक	9300-34800	4200	02 x 18 = 36
व्यवसाय अनुदेशक	9300-34800	4200	12 x 18 = 216
गणित अनुदेशक	9300-34800	4200	01 x 18 = 18
ड्राइंग अनुदेशक	9300-34800	4200	01 x 18 = 18
अंग्रेजी अनुदेशक	9300-34800	4200	01 x 18 = 18
प्रधान लिपिक	9300-34800	4200	01 x 18 = 18
उ०व०लिपिक	5200-20200	2400	02 x 18 = 36
भंडारपाल	5200-20200	1900	01 x 18 = 18

डाटा इंट्री ऑपरेटर	5200-20200	2400	01 x 18 = 18
नि0व0लिपिक	5200-20200	1900	03 x 18 = 54
मिश्रक	5200-20200	1900	01 x 18 = 18
कार्यालय परिचारी	4440-7440	1800	08 x 18 = 144
स्वीपर	4440-7440	1300	01 x 18 = 18

कुल- 38 x 18 = 684

(छः सौ चौरासी पद)

अंग्रेजी अनुदेशक/डाटा इंट्री ऑपरेटर/कार्यालय परिचारी तथा स्वीपर की नियुक्ति संविदा/आउटसोर्सिंग के आधार पर किया जाएगा।

प्रति संस्थान स्थापनादि व्यय संबंधी प्रस्ताव :-

स्थापना व्यय	15500000.00
कार्यालय व्यय एवं अन्य	2000000.00
मशीनें एवं उपस्कर	13000000.00

योग:- 30500000.00 रुपये

(रुपये तीन करोड़ पाँच लाख) मात्र।

इस प्रकार 18 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना पर कुल व्यय 18 X 305=5490 लाख अनुमानित है।

- 3- इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना होंगे तथा प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (संबंधित अनुमण्डलों) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे।
- 4- इस योजना के तहत राशि की निकासी संबंधित वित्तीय वर्ष में मुख्य शीर्ष- 2230-श्रम और रोजगार, उपमुख्य शीर्ष-03-प्रशिक्षण, समूह शीर्ष-राज्य योजना लघुशीर्ष-003 शिल्पकारों और पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण मांग संख्या-26 उपशीर्ष-0118- नया औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना, विपत्र कोड-पी0 2230030030118 एवं निर्माण कार्य पर व्यय मुख्य शीर्ष-4059 -लोक निर्माण कार्य पर पुँजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष- 60 -अन्य भवन, लघु शीर्ष-051-निर्माण, मांग संख्या-3, उपशीर्ष-0112- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के भवनों का निर्माण/पुनर्निर्माण/उन्नयन, विपत्र कोड-पी0 4059600510112 के अन्तर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
- 5- इस राशि की निकासी संबंधित अनुमण्डलों के कोषागार/उपकोषागार से संबंधित उपशीर्ष के बजट उपबंध के अनुरूप आवंटन निर्गत करने के पश्चात किया जाएगा।
- 6- विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-बी0एस0डी0एम0/बजट-23/2015-64 दिनांक-28.03.2016 में योजना प्राधिकृत समिति एवं मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन प्राप्त है। जिसके आलोक में यह स्वीकृत्यादेश निर्गत किया जा रहा है।
- 7- स्वीकृत्यादेश प्रारूप में वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

9/3/2016  
संयुक्त सचिव, 17/5/16  
श्रम, संसाधन विभाग।

ज्ञापांक- टी 3/योजना-09/2016- 1506

पटना, दिनांक- 17-5-16

प्रतिलिपि:- मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग/योजना एवं विकास विभाग (चार प्रतियों)/वित्त विभाग (बजट-शाखा)/विकास आयुक्त के सचिव /माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव, /सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग /आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

9/3/2016  
संयुक्त सचिव, 17/5/16  
श्रम, संसाधन विभाग।

ज्ञापांक- टी 3/योजना-09/2016- 1506

पटना, दिनांक- 17-5-16

प्रतिलिपि:- सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी/निदेशक नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार पटना/सभी उपनिदेशक प्रशिक्षण/क्षेत्रिय निरीक्षी पदाधिकारी/सहायक निदेशक (परीक्षा), दीघाघा पटना/सभी संबंधित प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान/सभी स्थापना शाखा, नामांकन शाखा, नियुक्ति शाखा, व्यय शाखा, भवन शाखा एवं बजट शाखा (सरकार पक्ष एवं निदेशालय प्रशिक्षण पक्ष)/आई0टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

9/3/2016  
संयुक्त सचिव, 17/5/16  
श्रम, संसाधन विभाग।